


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर

कार्यालय आदेश

सहायक आचार्य हिन्दी कॉलेज शिक्षा के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की अनुशंषा के आधार पर आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर नियम 2015 के नियम 6 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश की पालना में इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त करें।

क्र० स०	नाम कार्मिक मय पद व विषय	पदस्थापन स्थान	जिस पद के लिए कार्यमुक्त किया जाना है उस विभाग का नाम व आदेश संख्या
1	आनन्द पाराशर, व०अध्या० सा०वि०	राउमावि० हिंगतड़ा सरवाड़ अजमेर	कार्यालय आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेशांक-एफ1(23-06)RPSC/APPT/HRD /2022/1717 दिनांक-29 दिसम्बर 2022 सहायक आचार्य हिन्दी पद पर चयनोपरान्त


(अजय कुमार)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर


क्रमांक:-सनि/स्कूलशिक्षा/अज/फा-एनओसी/संस्था-4/2023/2478 दिनांक 02.01.2023

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01-प्रधानाचार्य राउमावि० हिंगतड़ा सरवाड़ अजमेर।

02-आनन्द पाराशर, व०अ० सा०वि०।

03-कार्यालय प्रति।


02/1/23
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर